UPJS220003092009

Presented on : 05-12-2009
Registered on : 05-12-2009
Decided on : 05-08-2026
Duration : 16 years, 8 months, 0 days

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0), मोंठ, झांसी।

फौ0 वाद सं0 –1843/2009

जे0ओ0कोड–यू0पी0 3316

उपस्थितः– शुभम् (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

सरकार **बनाम** **धर्मेन्द्र आदि**

अ0 संख्या –1403ए/2009
धारा–452,325,323,504,506 भा0दं0सं0
थाना – मोंठ,
जिला – झांसी।

निर्णय

1. प्रस्तुत फौ0 वाद, वादी मुकदमा **गुलाब खॉ** द्वारा अभियुक्तगण **धर्मेन्द्र, चतुर्भुज, मुकेश व हरीराम** के विरुद्ध दी गई तहरीर के आधार पर थाना पुलिस शाहजहॉपुर, द्वारा अ0 संख्या 1403ए/2009 धारा 452,325,323,504,506 भा0दं0सं0 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर विचारण हेतु संस्थित हुआ।

घटनाओं की सूची

तारीख	महत्वपूर्ण घटना
08.11.2009	शिकायतकर्ता द्वारा थानाध्यक्ष, मोंठ, जिला झांसी को अरोपीगण के विरूद्ध दी गयी शिकायत।
08.11.2009	को आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल है।
26.08.2019	अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, चतुर्भुज, मुकेश व हरीराम के विरुद्ध धारा 452,325,323,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये।
03.05.2024	अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.11.2009 को समय करीब 8 बजे रात मेरे घर के सामने केशरी पुत्र रामकुमार कुशवाहा व संजय पुत्र जीवन राजपूत दोनों बच्चे लड़ रहे थे कि मंदिर की तरफ से धर्मेन्द्र पुत्र हरीराम कुशवाहा आया तथा माचिस जलाकर मेरे ऊपर फेंक दी, जब मैंने रोका तो गाली गलौज करने लगा। इतने में उसके चाचा चर्तुभुज और उसका लड़का मुकेश आ गये, जिनके हाथों में लाठी डण्डा थे, मैं डरकर घर के भीतर घुस गया तथा हरीराम पुत्र मन्टोले चारों व्यक्ति मेरे घर में घुस आये व मुझे लाठी डण्डों से मारने पीटने लगे। शोर सुनकर पीर खॉ पुत्र सिलन्द खॉ, शीतल खॉ पुत्र पीर खॉ, मदार बक्श पुत्र फतते खॉ आ गये व बीच बचाव करने लगे तो उपरोक्त चारों ने सभी को गाली गलौज करते हुय लाठी डण्डों से मारा पीटा है। सभी को चोटें आयी हैं। ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए लोगों के आने पर चले गये हैं। सभी चुटहिलों को लेकर आया हूॅ, लिखित सूचना कर रहा हूॅ, कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें तो कृपा होगी। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के अधार पर थाना पुलिस मोंठ द्वारा अ0 संख्या 1403ए/2009 अन्तर्गत धारा 452,323,504,506 भा0दं0सं0 में अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। गवाहान वादी मुकदमा, साक्षीगण एवं अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 दर्ज किये गये। दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य के आधार धारा 325 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452,323,504,506,325 भा0दं0सं0, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर, अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा जमानतें करायी गयी तथा उन्हें धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में आवश्यक पुलिस दस्तावेजों की नकलें प्रदान की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452,323,504,506,325 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दिनांक 26.08.2019 को आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

5. अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने लिये साक्षी पी.डबलू. 1, पी.डबलू. 2, पी.डबलू. 3 व पी.डबलू. 4 को परीक्षित कराया। अभियोजन की ओर से इस साक्षी के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

6. बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन के औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया तथा अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 03.05.2024 को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया, साक्षी द्वारा झूठे बयान देना, मुकदमा रंजिशन चलाया जाना बताया तथा सफाई साक्ष्य, अपने पक्ष में कोई गवाह पेश

करने व कुछ और कहने से इन्कार किया।

7. मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की विस्तृत बहस को सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

8. आपराधिक एवं साक्ष्य विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा तब तक की जाती है जब तक अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं कर देता है। प्रस्तुत मामले में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के घर के अंदर घुस कर मारपीट करके अस्थि विसंधान करना, गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने की घटना को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

9. अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभियोग, अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के घर के अंदर घुस कर मारपीट करके अस्थि विसंधान करना, गाली गलौज करने व जान से मारने देने की धमकी देने के संबंध में पंजीकृत कराया गया है।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डबलू.1 गुलाब** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 15.07.2023 को कथन किया है कि दिनांक 08.11.2009 को समय करीब 08.00 बजे रात धर्मेन्द्र, चतुर्भज, मुकेश व हरीराम ने मेरे घर के अंदर घुसकर न मारपीट न गाली गलौज न जान से मारने की धमकी दी थी। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 5ए देखकर बताया मेरे हस्ताक्षर है, पहचान करना हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।

11. इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुये इस साक्षी को पक्षद्रोही घोसित किया गया तथा अभियोजन पक्ष को इस साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने बताया कि मूल तहरीर किसके लेख में हैं, मुझे मालूम नहीं है। मैंने बोलकर नहीं लिखाया है। मेरे हस्ताक्षर पहचानता हूँ, किसने लिखा था, मुझे मालूम नहीं। थाने पर मेरे साथ काफी लोग गये थे, जिनका नाम नहीं मालूम है। मेरे गॉव के लोग थे। यह कहना गलत है कि मैं अपने साथ गये लोग का नाम जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ। रफीक खॉ पुत्र पीर खॉ मेरे चचेरे भाई है। मैं नहीं बता सकता कि मूलतहरीर कागज संख्या 5ए मेरे चचेरे भाई के लेख में है या नहीं। यह कहना गलत है कि मूल तहरीर पुलिस ने मुझे पढ़कर सुनाई थी। यह कहना भी गलत है कि मैंने मूल तहरीर पढ़कर समझकर हस्ताक्षर किए हों। मुझे याद नहीं है कि थाने पर मेरे साथ पीर खॉ, शीतल खॉ, मदार बक्स मुकदमा लिखाने गये थे या नहीं। पुलिस ने मेरा डाक्टरी मुआयना कराया था। गवाह द्वारा

बताया गया कि चोटें मुझे गिर जाने के कारण आयी थी। मैं नहीं बता सकता कि पीर खॉ, शीतल खॉ, मदार बक्स को चोटें कैसे लग गयी थी। पुलिस मेरे घर जॉच पड़ताल नहीं गयी थी। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया है। गवाह को धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया गवाह ने इंकार किया। स्वतः कहा मैंने घर में घुसकर मारने पीटने, गाली, धमकी देने बयान नहीं दिया है, कैसे लिखा है, मैं नहीं बता सकता हूॅ। सभी मुलिजमान मेरे गॉव के हैं, हम वादी पक्षकार और मुल्जिमान पक्ष के बीच क्रास मुकदमा है। सरकार बनाम गुलाम आदि इसी न्यायालय में आज तारीख है। यह कहना सही है कि हम दोनों पक्षों के बीच आपसी राजीनामा हो गया है। अब कोई विवाद शेष नहीं है। यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने के कारण मैं झूठा बयान दे रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि मैंने थाने पर झूठा बयान दिया हो। यह कहना गलत है कि मैंने थाने पर झूठी एफआईआर लिखाई थी।

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **<u>पी.डबलू.2 शीतल खॉ</u>** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 21.10.2023 को कथन किया है कि अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, चतुर्भज, मुकेश व हरीराम ने दिनांक 08.11.2009 समय करीब 8 बजे रात्रि गुलब खॉ के घर में नहीं घुसे थे। न ही अभियुक्तगण ने मुझे, गुलाब खॉ, पीर खॉ, भिलन्द खॉ, मदार खॉ को लाठी डण्डा से मारा पीटा था न ही हम लोगों को मारपीट कर गम्भीर चोट पहुॅचायी थी न ही गाली–गलौज किया न धमकाया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

14. इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुये इस साक्षी को पक्षद्रोही घोसित किया गया तथा अभियोजन पक्ष को इस साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने बताया कि इसी घटना के बावत अभियुक्तगण ने हम पक्षों के ऊपर क्रास केस लिखाया था। इसी न्यायालय में सरकार बनाम गुलम में राजीनामा से मुकदमा खत्म हो गया है। गवाह को धारा 161 दं0 प्र0 सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने इंकार किया कहा मुल्जिमान द्वारा मारना पीटना गाली देना धमकी देने मैंने दरोगा जी को नहीं बताया, दरोगा जी ने कैसे लिखा मैं नहीं बता सकता। अभियुक्तगण और हम गवाहन पक्ष के परिवार के बच्चों में कहा सुनी को लेकर हमारे बीच मामूली कहा सुनी हुयी थी। काफी भीड़ लग गयी थी, उसी धक्का मुक्की में गिर जाने से मुझे चोटें लगी थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण मारने पीटने से मुझे चोटें आयी थी। मैं नहीं बता सकता कि वादी ने मूल तहरीर में क्या लिखाया है और मेरा नाम कैसे लिखा

दिया। यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरा और अन्य लोगों का डाक्टरी कराया है। यह कहना

गलत है कि एम.एल.सी. रिपोर्ट में लिखी चोटें अभियुक्तों के मारने के द्वारा आयी हों। यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने के कारण झूठा बयान दे रहा हूॅ।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डबलू.3 मदार वक्श** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 21.10.2023 को कथन किया है कि अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, चर्तुभुज, मुकेश, हरीराम ने मुझे मारा–पीटा नहीं था न गाली गलौज दिया था न जान से मारने की धमकी दी थी और न अभियुक्तगण ने घर में घुसे थे। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया।

17. इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुये इस साक्षी को पक्षद्रोही घोसित किया गया तथा अभियोजन पक्ष को इस साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

18. अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने इंकार किया कहा बच्चों के शोर शराबे को सुनकर मैं पहुॅचा था, वहॉ काफी भीड़ इकट्ठा थी। भीड़ की धक्का मुक्की में गिर जाने से मुझे चोटें लग गयी थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्तों के मारने से मेरे शरीर पर चोटें आयी हों। वादी मुकदमा गुलाब मेरे छोटे भाई हैं। पीर खॉ और शीतल खॉ चाचा व चचेरे भाई हैं। मुल्जिमान और हमारे परिवार के बीच आपसी राजीनामा हो गया। यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने के कारण झूठा बयान दे रहा हूॅ। यह कहना भी गलत है कि मैंने भाई व परिवार वालों के साथ मिलकर झूठा मुकदमा लिखाया हो।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डबलू. 4 पीर खॉ** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 24.01.2024 को कथन किया है कि दिनांक 08.11.2009 को समय करीब 08.00 बजे रात मुल्जिमान धर्मेन्द्र, चतुर्भुज, मुकेश और हरीराम ने वादी गुलाब खॉ के घर में नहीं घुसे थे न ही मुझे, गुलाव, सिलेंद मेरे पिता शीतल खॉ मेरे बेटे और मदार खॉ को नहीं मारा पीटा था न ही गाली दी थी न ही जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था।

20. इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुये इस साक्षी को पक्षद्रोही घोसित किया गया तथा अभियोजन पक्ष को इस साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

21. अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने बताया कि मैं कक्षा 2–3 तक पढ़ा हूॅ। वादी गुलाब खॉ मेरे सगे भतीजे हैं। मुल्जिमान और हमारा पड़ास है, आना जाना है। कहा सुनी हो गया था। धक्का मुक्की में गिर जाने से चोटें लगी थी। काफी भीड़ थी, किसी ने किसी को नहीं मारा था। गवाह को बयान 161 दं0प्रं0सं0 पढ़कर सुनाया गया, गवाह ने इंकार किया कहा कैसे लिखा है, मैं नहीं बता सकता। गुलाब ने मुकदमा क्यों लिखाया और मेरा नाम गवाही में कैसे लिखा मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मुल्जिमान पक्ष और हमारे बीच क्रास केस में और इस मामले में राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने से हाजिर अदालत झूठा बयान दे रहा हूॅ।

22. इस स्तर पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने बताया कि अभियुक्त चुतुर्भज, हरीराम व मुकेश के बीच में राजीनामा हो गया है। अब मुझे कुछ नहीं कहना है। यह कहना गलत है कि मैं झूठा बयान दे रहा हूॅ।

23. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व पुलिस के प्रलेखीय साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण **पी.डब्लू. 1, 2, 3 व 4** मुख्यपरीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अपनी जिरह में अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित करने से इन्कार किया है। अभियोजन द्वारा इन साक्षीगण के अतिरिक्त किसी अन्य गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। मात्र पुलिस प्रलेखीय साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य, जो किसी साक्षीगण द्वारा समर्थित न हों, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पर्याप्त नहीं माना जा सकता। पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार कर लेने मात्र से अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

24. अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में, संदेह का लाभ पाते हुये अभियुक्तगण **धर्मेन्द्र, चतुर्भुज, मुकेश व हरीराम** को अन्तर्गत धारा 452,323,504,506,325 भा0दं0सं0 के अपराध से दोष मुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **धर्मेन्द्र, चतुर्भुज, मुकेश व हरीराम** को अन्तर्गत धारा 452,323,504,506,325 भा0दं0सं0, **फौ0 वाद संख्या 1843/2009** अ0 संख्या **1403ए/2009** थाना **मोंठ**, जिला झांसी के आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंध पत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मुबलिक 20–20 हजार रुपये के निजी बंध पत्र व इसी धनराशि की दो–दो जमानतें दाखिल की जा चुकी हैं, जो छः माह तक प्रभावी रहेगी।

दिनांकः–05.08.2026

(शुभम चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोंठ, झांसी

आज यह निर्णय एवं आदेश, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–05.08.2026

(शुभम चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोंठ, झांसी।
जे.ओ.कोड 3567